

25/3
25/25 प्राची अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी स.। ता 3
की तलवी की डिग्री रिपोर्ट प्राप्त हुई। शेष
की तलवी प्राप्त नहीं। पत्रावली वरिष्ठ तलवी
दिनांक 23/4/25 को पेश हो।

21/04/25

Not Press

म. प्र. सि. प्र.
[Signature]

प्राची अधिवक्ता के द्वारा प्राथमिक पत्र पेश
करने पर पेशी में ली गई। प्राथमिक पत्र
में अज किया कि उक्त प्रकरण में वादी
का प्रतिवादीगण के साथ समझौता हो
सका है। इसलिए प्रकरण को आज पेशी
में लिया जाकर खारिज करमाया जावे।

प्राची व प्राची अधिवक्ता को खना
गया। पत्रावली का अवलोकन किया
गया। लिहाजा प्राची द्वारा ~~ख~~ वादपत्र
अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 RITA नोटिस
करने पर प्रकरण इसी स्तर पर खारिज
किया जाता है। पत्रावली निगीति होकर
गम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।



उपखण्ड अधिकारी (राजत)
श्रीकरनपुर (श्रीगंगानगर)